



कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

(हवामहल के पीछे, बड़ी चौपड़, माणक चौक, जयपुर-302002)

क्रमांक: एफ 7().सत (सा.प्र)/ज.न.नि.है./2024/ 216

दिनांक : 02.08.2024

निलामी सूचना

नगर निगम हैरिटेज जयपुर की सतर्कता शाखा जनता मार्केट गौदाम सब्जी मण्डी व निर्माण स्ट्रोर मीणा पट्रोल पंप दिल्ली बाईपास रखे गये निम्नांकित सामान जहां है के आधार पर सामान अंकित दिनांक एवं स्थान पर निलामी किया जायेगा।

क्र.म	सामान का नाम	स्थान	निलामी तिथि	समय (प्रात)
01.	जनता मार्केट गौदाम व निर्माण स्ट्रोर मीणा पट्रोल पंप के पास दिल्ली बाईपास रखे सामान थड़ी ठेले, साईकिले, लोहा, परात, व गमले, स्टील की टंकी, सिलवर भगोना आदि	जनता मार्केट गौदाम निलामी स्थल व निर्माण स्ट्रोर मीणा पट्रोल पंप के पास दिल्ली बाईपास सामान स्थल	16.08.2024	11.00

01. निलामी योग्य सामान की विस्तृत सूची सतर्कता शाखा स्ट्रोर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है तथा सूची एवं निलामी की शर्तें विभागीय पोर्टल www.jaipurmcheritage.org पर एवं सूचना पट्टे निगम मुख्यालय हैरिटेज बड़ी चौपड़ पर देखी जा सकती है।
02. निलामी में भाग लेने से पूर्व निर्धारित आवेदन शुल्क 2000/-रु एवं अमानता राशि 51000/- रुपये जमा करने के पश्चात् निलामी बोली में भाग लिया जा सकेगा अमानता राशि के अभाव में कोई भी व्यक्ति बोली में भाग नहीं ले सकेगा।
03. उच्चतम बोली दाता को सम्पूर्ण राशि मौके पर ही जमा करवानी होगी। अन्यथा अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी। कोई राजकीय कर नियमानुसार + GST देय है जो वह अतिरिक्त जमा करना होगा।
04. बोली छोड़ने व बोली दाता द्वारा राशि जमा कराने के पश्चात् ही बोली दाताओं की अमानता राशि लौटा दी जावेगी। निलामी किये गये सामान की सुरक्षा का दायित्व संबंधित व्यक्ति का होगा।
05. यदि प्रथम उच्चतम बोलीदाता माल लेने से इनकार कर देता है तो द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को माल देने का विचार किया जा सकता है एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी यदि निलामी कमेटी उचित समझती है तो द्वितीय बोलीदाता को माल दिया जा सकता है, यदि द्वितीय बोलीदाता माल लेने से इन्कार कर देता तो उसकी अमानता राशि जब्त कर ली जायेगी।
06. यदि द्वितीय उच्चतम बोलीदाता माल लेने से इनकार कर देता है तो तृतीय उच्चतम बोलीदाता को माल देने पर विचार किया जा सकता है। यदि निलामी कमेटी उचित समझती है तो ही तृतीय उच्चतम बोलीदाता को माल दिया जा सकेगा। यदि तृतीय उच्चतम बोलीदाता माल लेने इनकार कर देता है तो उसकी अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी। तथा सामान की पूर्ण निलामी की जावेगी।
07. प्रथम/द्वितीय/तृतीय उच्चतम बोलीदाता से प्राप्त बोली आधार पर माल देने हेतु निगम बाध्य नहीं होगा जब तक की कमेटी प्राप्त दरों को उचित नहीं समझती है तो किसी भी बोली को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार निलामी कमेटी का होगा।
08. माल 15 दिवस में उठा लेना होगा।

आम सूचना जरिरी समाचार पत्र/सूचना पट्टे/पोर्टल पर जारी किये जाने का पत्र तैयार कर अवलोकनार्थ एवं अस्ताक्षरार्थ पेश है।

RajKaj Ref
9517748



Signature valid

Digital Signature of Sandra Singh
Rathore
Designation: Superintendent
of Police
Date: 02.08.2024
Reason: Approved

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ ।

1. श्रीमान आयुक्त महोदय, नगर निगम जयपुर हैरिटेज ।
2. अतिरिक्त आयुक्त महोदया, नगर निगम जयपुर हैरिटेज ।
3. मुख्य लेखा अधिकारी, नगर निगम जयपुर हैरिटेज ।
4. जन सम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर हैरिटेज ।
5. केयर टैकर, नगर निगम जयपुर हैरिटेज ।
6. राजस्व मुख्यालय, नगर निगम जयपुर हैरिटेज ।
7. सह समिति संबंधित सदस्य, नगर निगम जयपुर हैरिटेज ।
8. प्रबंधक ओसवाल डाटा, नगर निगम जयपुर हैरिटेज ।
9. रक्षित पत्रावली ।

उपायुक्त सतर्कता
नगर निगम जयपुर हैरिटेज ।

RajKaj Ref
9517748

Signature valid

Digitally signed by Purnendra Singh
Rathore
Designation : Additional Superintendent
of Police
Date: 2024.08.02 10:09:59 IST
Reason: Approved